राजस्थान सरकार

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक प. 1(9)वित्त/नियम/2015 जयपुर, दिनांक : 21 JAN 2022

स्पष्टीकरण

विषय :– सेवानिवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान।

वित्त (नियम) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2020 के द्वारा आपराधिक मामलों में कार्यवाही लम्बित रहते हुए अथवा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विचाराधीन विभागीय कार्यवाही के लम्बित रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 91B के उपनियम (1) के तहत अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान लम्बित प्रकरण में कार्मिक के पूर्णतया दोष मुक्त होने पर ही किये जाने का आदेश जारी किया गया था।

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91B (7) के अनुसार, कार्मिक के विरूद्व चल रही विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के समापन पर कार्मिक से राशि वसूली की संभावना के आधार पर सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान रोका जा सकता है।

अतः राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91B (7) के प्रावधान के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(9)वित्त/नियम/2015 दिनांक 13.03.2020 के क्रम में राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 91B के उपनियम (1) के तहत सेवानिवृति पर शेष रहे उपार्जित अवकाश का भुगतान उन्हीं प्रकरणों में देय नहीं होगा जहाँ कार्मिक से विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के समापन पर कतिपय राशि वसूली की संभावना हो। शेष प्रकरणों में उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा सकेगा।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

P.T.O

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक:प.4(1-आर)(11)स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/1994/ 1302 दिनांक 16.03.2022 22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम पालनार्थ हेतु अग्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/आहरण एवम वितरण अधिकारी, ...
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

वित्त नियंत्रक